

अनुलग्नक- 06 (दृष्टव्य कडिका 2.4d)

बाढ़ राहत सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा के संबंध में पत्र
पत्र संख्या-1PT0आ0-96/03 1504/आ090।

बिहार सरकार,
आपदा प्रबंधन विभाग।

प्रेषक,

आलोक कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/बाढ़ प्रवण प्रमंडल।
सभी जिला पदाधिकारी, बाढ़ प्रवण जिला।
बिहार।

पटना-15, दिनांक 1/9/05

विषय :- वर्ष 2005 की संभावित बाढ़ राहत सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि संभावित बाढ़ 2005 से निपटने हेतु आवश्यक राहत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निविदा की प्रक्रिया अपना कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता/दर के निर्धारण हेतु पूर्व में विभिन्न पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया है।

2. इधर हाल में कई जिलों से प्राप्त सूचना एवं दिनांक 20.7.05 को अपर समाहतराओं के बाढ़ साहाय्य की तैयारी के संबंध में हुई राज्य स्तरीय बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त यह तथ्य उभर कर आया कि कई जिलों में बार-बार निविदा निकाले जाने के बावजूद भी किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा नहीं दी गई है। किसी-किसी जिले में एक या दो निविदादाता द्वारा ही निविदा दी गई है जिसमें निविदा की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में बाढ़ साहाय्य हेतु राहत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

3. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में बाढ़ साहाय्य कार्य की महत्ता को मद्देनजर रखते हुए साहाय्य कार्य हेतु आवश्यक राहत सामग्रियों एवं बचाव उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है।

बू0पू0उ0— "2"

॥क॥ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिलों में राहत सामग्रीयों के दर निर्धारण एवं उपलब्धता के संबंध में अविलम्ब आवश्यक पर्यवेक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि किन-किन जिलों में संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा अपने जिलान्तर्गत लगातार प्रयास के बावजूद साहाय्य सामग्रीयों के दर निर्धारण की कार्रवाई अबतक पूरी नहीं की गई है।

॥ख॥ लगातार प्रयास के बावजूद जिन जिलों में दर निर्धारण की कार्रवाई अबतक पूरी नहीं हुई हो, ऐसे जिलों के जिला पदाधिकारी निवेदा की प्रतिया द्वारा दर/आपूर्तिकर्ता का निर्धारण का आगे भी लगातार प्रयास करते रहेंगे। मात्र अकस्मात् परिस्थिति उत्पन्न होने पर ही विशेष परिस्थिति में राहत सामग्रीयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं :-

॥i॥ जिन जिलों में दर निर्धारण की कार्रवाई लगातार विशेष प्रयास के बावजूद भी पूरी नहीं हुई हो, और अकस्मात् परिस्थिति उत्पन्न हो जाये तो संबंधित जिला पदाधिकारी अपने समीपवर्ती जिला जहाँ दर निर्धारण हुआ हो, वहाँ से राहत सामग्रीयों की दर सूची एवं आपूर्तिकर्ता के बारे में सूचना प्राप्त कर बाढ़ के समय उसकी आपूर्ति उन निर्धारित आपूर्तिकर्ताओं से निर्धारित दर पर लेने की कार्रवाई करने हेतु अपने प्रमंडलीय आयुक्त से आदेश प्राप्त करेंगे।

॥ii॥ यदि किसी प्रमंडल के किसी भी जिले में लगातार प्रयास के बावजूद भी दर निर्धारण नहीं हुआ हो तो अकस्मात् विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त अपने समीपवर्ती प्रमंडल से जहाँ दर-निर्धारण हुआ हो, से दर एवं आपूर्तिकर्ता की सूची प्राप्त कर बाढ़ के समय राहत सामग्रीयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अपने संबंधित जिला पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश देंगे।

4. अतः अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में बाढ़ 2005 से निपटने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक राहत सामग्रीयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वनाथभाजन,

॥आलोक कुमार सिन्हा॥
सरकार के सचिव।

आपसं 1504 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 11/05-
प्रतिनिधि- मुख्य सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।